

24/2/26

अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्त
व अपीलान्त को न्यायालय की ओर से वार-2
अवाजे लगायी गयी, किन्तु इनकी ओर से कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उक्त अपील अदम हाजरी।
अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
केवल शुमार लेकर बाद आवश्यक कार्रवाई दायरे
दफ्तर है।

राजस्थ अपील प्राधिकारी
पाली